

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मोतीमहल, ग्वालियर म0प्र0

निगरानी प्रकरण क्रमांक: /2018 ग्वालियर

निगरानी - 4036/2018/ग्वालियर/शु.रु लालाराम पुत्र स्व. श्री गोरे लाल उम्र 70 वर्ष

निवासी डोंगरपुर, पुतली घर, ग्वालियर

2- नारायण सिंह पुत्र स्व. श्री गोरेलाल उम्र 56

वर्ष निवासी डोंगरपुर, पुतलीघर, ग्वालियर

3- हेम कुमार पुत्र स्व. श्री गोरेलाल उम्र 54 वर्ष

निवासी डोंगरपुर, पुतलीघर, ग्वालियर

----- आवेदकगण

बनाम

1- श्रीमती विमला पत्नी श्री बद्री पुत्री स्व. श्री

गोरेलाल निवासी महाडिक की गोठ, जैन

पेट्रोल पम्प के सामने, कम्पू, लशकर,

ग्वालियर म0प्र0

2- श्रीमती कमला पुत्री स्व. श्री गोरेलाल

निवासी ग्राम उत्तमपुरा, मुरैना म0प्र0

3- श्रीमती मुन्नी पत्नी श्री रामस्वरूप पुत्री स्व.

श्री गोरेलाल निवासी ग्राम लालोर, जिला

मुरैना म0प्र0

4- श्रीमती सोना पत्नी स्व. श्री मनीराम पुत्री स्व.

श्री गोरेलाल निवासी ग्राम बामौर, जिला

मुरैना म0प्र0

5- श्रीमती मागो पत्नी स्व. श्री मोती पुत्री स्व.

श्री गोरेलाल निवासी खरगपुर जिला मुरैना

6- श्रीमती चिरौजी पत्नी लालपत पुत्री स्व. श्री

गोरे लाल निवासी लखनपुरा, मुरैना म0प्र0

----- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा

1959, न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी जिला ग्वालियर

द्वारा प्रकरण क्रमांक 35/16-17 अपील में पारित आदेश दिनांक

16-05-2018 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत

श्री यशवंत शंकरा माता
द्वारा आज दि. 2-7-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 11-7-18 नियत।

कार्य. ऑफ कोर्ट 2-7-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर



Shankar
2-7-18

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4036/2018/ग्वालियर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
14-8-2018	<p>आवेदक की ओर से श्री डी.के. शुक्ला, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें सुना गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अंतिम प्रकृति का आदेश पारित किया गया है, जिसके विरुद्ध निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है । अतः न्यायहित में सक्षम न्यायालय में अपील पेश करने हेतु उन्हें वापिस किया जाता है ।</p> <p></p>	<p> अध्यक्ष</p>